न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–13/2023

सारथी व्यापारी.....वादिनी

बनाम

संजय व्यापारी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.01.2025	वादिनी की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रकिया संहिता को वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 संजय व्यापारी की मृत्यु दिनांक 20.10.2024 को हो चुका है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपनी पत्नी मुस्मात पंचमी व्यापारी एवं एक पुत्र रोहित व्यापारी तथा तीन पुत्री रिया व्यापारी, संतोषी व्यापारी एवं प्रिति व्यापारी को छोडकर मरे। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 संजय व्यापारी की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2024 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–13/2023</u>

सारथी व्यापारी.....वादिनी

बनाम

संजय व्यापारी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.01.2025	दी जाती है। वादिनी प्रतिस्थापन करें तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 20.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	